डिजीटल हस्ताक्षर पंजीकरण हेतु निर्देश

1. युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत प्रशिक्षुओं के स्टायपंड का भुगतान आनलाइन किया जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नोडल अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर बैंक सर्वर पर अपलोड कराकर उसे एप्रूव किया जावे।
2. डिजीटल हस्ताक्षर बैंक सर्वर पर अपलोड कराने के लिए युवा स्वाभिमान पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था दी गयी है।
3. डिजीटल हस्ताक्षर बैंक सर्वर पर अपलोड करने के विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं –
    a. इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक होगा कि नोडल अधिकारी अपने डिजीटल हस्ताक्षर की Certificate फाइल अपने कम्प्युटर पर डोंगल लगाकर प्राप्त करें। इसके लिए एक वीडीओ ट्यूटोरियल बनाकर सर्वर पर अपलोड किया गया है।
    b. जब यह Certificate फाइल प्राप्त हो जावेगी तब इसे नोडल अधिकारी अपने लागइन से पोर्टल पर अपलोड करेगें।
    c. Certificate फाइल अपलोड हो जाने पर यह अनुरोध आपके एप्रूवर अथारिटी को पहुँच जावेगा।
    d. एप्रूवर अथारिटी द्वारा यदि आपका अनुरोध स्वीकृत कर दिया जाता है तो आपके डिजीटल हस्ताक्षर बैंक सर्वर पर अपलोड हो जावेगें एवं आप अब ई-पेमेंट करने के लिए अधिकृत हो जावेगें।
4. डिजीटल हस्ताक्षर बैंक सर्वर पर अपलोड होने मात्र से कोई भी ई-पेमेंट पोर्टल स्वत: नही बना पायेगा। जब भी कोई ईपेमेंट करना होगा तो इसके लिए पोर्टल पर लागइन होकर ई-पेमेंट की प्रक्रिया की जानी होगी।